

RAJENDRA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, RANCHI

Tender paper for handling, running & maintenance of Rain Basera at RIMS, Ranchi

Tender Notice No.553 dated 02/02/16

Issued to,

M/s

.....

.....

Against money receipt number / RIMS, dated:

Cashier
RIMS, Ranchi

RAJENDRA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, RANCHI

Tender paper for handling, running & maintenance of Rain Basera at RIMS, Ranchi

Tender Notice No.553 dated 02/02/16

Issued to,

M/s

.....

.....

.....

Against money receipt number / RIMS, dated:

Cashier
RIMS, Ranchi

Invitation of tender notice for handling, running & maintenance of Rain Basera at Rajendra Institute of Medical Sciences, Ranchi.

To,

M/s.....

.....
.....
.....

Dear Sir,

Director, Rajendra Institute of Medical Sciences, Ranchi invites you to tender for handling, running & maintenance for Rain Basera at RIMS, Ranchi.

If you are in a position to quote for handling, running & maintenance for Rain Basera as stated in tender notice & tender form , you must also furnish all information called for along with your tender.

This tender is non transferable.

All legal matter in respect to this tender will be subjected to jurisdiction of Hon'ble Jharkhand High Court, Ranchi.

The last date of submission of tender - 15/03/16 (up to 04:30 PM)
(by registered post/ speed post only)

Date for opening of technical bid - 17/03/16 at 12.30 PM

Yours faithfully


Director
Rajendra Institute of Medical Sciences
Ranchi

Bijay
08/2/16

निदेशक का कार्यालय, राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान, राँची।

पुनःनिविदा संख्या..... / रा०आ०सं०, राँची दिनांक

पुनःनिविदा आमंत्रण सूचना

निविदा सूचना संख्या 7556 दिनांक 06.11.2015 को अपरिहार्य कारण से निरस्त करते हुए इस संस्थान के रैन बसेरा के संचालन हेतु मुहरबन्द निविदा स्पीट पोस्ट या निबंधित डाक के माध्यम से आमंत्रित किया जाता है। हाथों-हाथ अथवा निजी कुरीयर के माध्यम से निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी। निविदा दो भागों में होना चाहिए। प्रथम भाग में टेक्नोकॉर्मर्शियल बीड एवं द्वितीय भाग में प्राईसबीड तथा दोनों भाग एक लिफाफा में मुहरबंद होना चाहिए।

निविदा संबंधित मुख्य तिथियाँ

क्रम सं० 1.	निविदा प्रपत्र बिक्री की तिथि	दिनांक 8.02.16 से दिनांक 5.03.16 तक कार्यावधि में मात्र Rs.5000/- के नकद रूप से रोकड़पाल रिस्स के पास जमा कर निविदा प्रपत्र प्राप्त कर सकते हैं अथवा रिस्स बेबसाईट से डाउनलोड कर समुचित निविदा प्रपत्र शुल्क का बैंक ड्राफ्ट निदेशक रिस्स, राँची के नाम से निर्गत निविदा के साथ संलग्न कर सकते हैं।
क्रम सं० 2.	निविदा समर्पित करने की अंतिम तिथि	दिनांक 15.03.16 को अपराह्न 4.30 बजे तक।
क्रमसं० 3.	निविदा की तकनिकी भाग खोलने की तिथि	दिनांक 17.03.16 को अपराह्न 12.30 बजे रिस्स प्रशासनिक सभाकक्ष में (निविदादाता तकनिकी समिति के समक्ष उपस्थित होने के लिए स्वतंत्र है।
क्रम सं० 4.	निविदा की शर्तें	निविदा से संबंधित विस्तृत जानकारी संस्थान के बेबसाईट www.rimsranchi.org पर देखा जा सकता है।

ह० /—

निदेशक,

राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान, राँची।

ज्ञापांक / रा०आ०सं०, राँची दिनांक

प्रतिलिपि:- चिकित्सा अधीक्षक / उपाधीक्षक / चिकित्सा पदाधिकारी (भण्डार) / लेखापदाधिकारी / कार्यालय अधीक्षक / लेखापाल/मुख्या रोकड़पाल/रोकड़पाल / रिसिविंग क्लर्क/निदेशक कोषांग, रिस्स, राँची को सूचनार्थ प्रषित।

निदेशक
राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान, राँची।

निविदा के तकनिकी भाग में निम्नांकित अभिलेखों की स्वाभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न होना अनिवार्य होगा, जिसके अभाव में निविदादाता का निविदा विचारणीय नहीं होगा:-

1. किसी सरकारी/अर्द्ध सरकारी/स्वायत्त शासी निकाय/निगम इत्यादि के अंतर्गत विगत पाँच वर्षों के अंदर न्यूनतम दो वर्षों तक लगातार समकक्ष कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र। प्रमाण पत्र किसी Gazzetted पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत होना चाहिए।
2. निविदादाता फर्म/एजेन्सी का सेवा कर (Service tax) निबंधन प्रमाण पत्र।
3. निविदादाता फर्म/एजेन्सी का झारखण्ड राज्य अंतर्गत वाणिज्य/बिक्री कर विभाग द्वारा निर्गत निबंधन JVAT प्रमाण पत्र।
4. आयकर विभाग द्वारा निर्गत पैन कार्ड / (यदि निविदादाता फर्म का एकल मालिक हैं तो फर्म या मालिक दोनों में से किसी एक का और यदि निविदादाता फर्म का एक से अधीक पार्टनर हो तो केवल फर्म/ एजेन्सी के नाम निर्गत PAN कार्ड)
5. झारखण्ड राज्य/ भारत सरकार के श्रम विभाग में फर्म का निबंधन संबंधी पत्र/ लेबर लाईसेंस।
6. फर्म का विगत तीन वर्षों का आयकर रिटर्न एंव चार्टर्ड एकाउण्टेंट द्वारा हस्ताक्षरित प्रति वर्ष न्यूनतम 50 लाख टर्न ओवर का बैलेंस शीट।
7. फर्म के अंतर्गत हो रहे पूर्व के कार्यों या चल रहे कार्यों में कार्यरत न्यूनतम 25 कर्मचारियों की सूची जिसमें कर्मचारी का नाम, उसके पिता का नाम पुरुष स्थायी पता तथा इनके UID कार्ड की स्व अभिप्रमाणित प्रति।
8. फर्म के मालिकों का UID कार्ड की स्व अभिप्रमाणित प्रति।
9. निविदा के साथ सभी निविदादाताओं को निविदा प्रपत्र के साथ अग्रधन के रूप में ₹ 50,000/- (पचास हजार) मात्र का बैंक ड्राफ्ट निदेशक, रिस्स, रॅंची के नाम प्लेज़ होना चाहिए।

अनिवार्य निविदा शर्त :-

1. रैन बसेरा संचालन में निविदादाता द्वारा प्रतिनियुक्त कर्मियों का नेम प्लेट, बैज, पहचान पत्र कार्ड , ड्रेस , जूता, टार्च बैट्री इत्यादि निविदादाता द्वारा स्वयं उपलब्ध कराना।
2. रैन बसेरा में उपयोग होने वाले बेड शीट एंवं तकिया निविदादाता को ही देना होगा।
3. रैन बसेरा में उपयोग होने वाले बेड शीट एंवं तकिया को उपयोग के बाद प्रतिदिन धुलाई/सफाई निविदादाता की जिम्मेवारी होगी। शिकायत की स्थिति में या औचक निरीक्षण में गंदगी पाए जाने पर प्रति शिकायत कम से कम Rs. 1000/- का अर्थ दंड निविदादाता पर चार्ज किया जाएगा जो निविदादाता को रिस्स में जमा करना होगा।
4. यह निविदा कार्यादेश निर्गत तिथि से एक वर्ष तक मान्य होगा।
5. संपूर्ण रैन बसेरा परिसर एंवं शौचालयों की साफ—सफाई एंवं निकलने वाले कचड़े को गणतव्य तक प्रतिदिन निष्पादित करना निविदादाता की जिम्मेवारी होगी।
6. केवल रिस्स में भर्ती मरीजों के परिजनों को ही रैन बसेरा में रहने की सुविधा देना निविदादाता की जिम्मेवारी होगी। इसके प्रमाण के लिए मरीजों के भर्ती रहने वाले इकाई के इकाई प्रभारी चिकित्सक द्वारा हस्ताक्षरित एंवं अग्रसारित या अनुशंसित आवेदन पर ही रैन बसेरा में स्थान आवंटन करना निविदादाता को जिम्मेवारी होगी। ब्रुटि पाए जाने पर या बाहरी व्यक्ति को रैन बसेरा आंबटित किये जाने पर प्रति शिकायत Rs. 1000/- का अर्थ दंड प्रतिदिन के दर से निविदादाता पर चार्ज किया जाएगा।
7. निविदादाता को क्रमांक (Sl.No.) अंकित रशीद रखना होगा। रशीद में मरीज का वार्ड, इंडोर बेड नंबर , उसके परिजन का नाम, परिजन के पहचान पत्र (वोटर आईडी/ U.I.D. / किसी

सरकारी कार्यालय द्वारा निर्गत पहचान पत्र / ड्राइविंग लाईसेंस या अन्य सरकारी फोटो युक्त दस्तावेज) का नंबर एवं पता लिखने हेतु Format छपा होगा जिसपर रैन बसेरा संचालक द्वारा पूर्ण विवरणी भरना होगा एवं इन्हें कौन सा कमरा नं० कितने दिनों के लिए दिया जा रहा है यह अंकित करना होगा तथा प्रतिदिन का दर अंकित करना होगा।

8. रशीद की एक प्रति मरीजों के परिजनों को, एक प्रति रैन बसेरा से संबंधित सहायक को, एक प्रति रिम्स के लेखाशाखा में तथा एक प्रति निविदादाता के पास होगा।
9. प्रतिदिन रैन बसेरा में जमा होने वाले राशि को ठीक अगले कार्य दिवस में रिम्स के बैंक एकाउन्ट में जमा कराकर उसी दिन उसकी पावती रशीद की एक प्रति रिम्स में जमा करना अनिवार्य होगा।
10. रैन बसेरा के काउन्टर पर एक Central Register रखना होगा जिसमें Room wise (कमरों के अनुसार) ठहरने वाले व्यक्ति का नाम, कब से कब तक है, किस वार्ड एवं बेड नं० के मरीज के परिजन हैं यह अंकित होना अनिवार्य होगा। त्रुटि पाए जाने की स्थिति में या अवैद्य रूप से रह रहे लोगों की स्थिति में प्रति शिकायत Rs. 1000/- प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के अनुसार निविदादाता पर अर्थ दंड लगेगा।
11. निविदादाता के कर्मचारियों को भी रैन बसेरा में रहते हुए पाए जाने पर प्रति कर्मचारी प्रतिदिन Rs 1000/- का अर्थ दंड निविदादाता पर चार्ज होगा।
12. निविदा के लिफाफे के ऊपर रैन बसेरा के लिए निविदा अंकित होना चाहिए।
13. निविदा के तकनीकी भाग में सफल निविदादाता का ही प्राईस बीड खोला जायेगा।
14. क्रय समिति द्वारा स्वीकृत निविदा एक वर्ष अथवा अगली निविदा होने तक मान्य रहेगा।
15. निविदादाता द्वारा प्रेषित निविदा में उपरोक्त किसी भी निविदा शर्त के अपूर्ण रहने की स्थिति अथवा आवश्यक प्रमाण –पत्र निविदा में संलग्न नहीं रहने पर उक्त निविदादाता की निविदा स्वतः रद्द मानी जायेगी।
16. इस निविदा से संबंधित सभी प्रकार के विवाद के निपटारे का न्याय क्षेत्र राँची न्यायालय होगा।
17. अधोहस्ताक्षरी को यह अधिकार सुरक्षित होगा कि किसी एक निविदा या सभी निविदा को आंशिक रूप से अथवा पूर्णतः बिना कारण बताए स्वीकृत अथवा रद्द कर सकते हैं।

प्राईस बीड प्रफौर्मा:- (वित्तीय भाग)

1	प्रति कमरा / प्रतिदिन का शुल्क (जो निविदादाता द्वारा मरीजों के परिजनों से लिया जाएगा)	@ Rs..... प्रति कमरा / प्रति दिन (24 घंटे के लिए)
2	परिजनों से लिये गये शुल्क में से निविदादाता कितनी राशि रिम्स को देना चाहेंगे।	@ Rs..... प्रति कमरा / प्रति दिन के दर से।

राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान, राँची।

ज्ञापांक 607 / रा०आ०स०, राँची दिनांक 08-08-2016
 प्रतिलिपि:- चिकित्सा अधीक्षक / उपाधीक्षक / चिकित्सा पदाधिकारी (भण्डार) / लेखापदाधिकारी / कार्यालय अधीक्षक / लेखापाल / मुख्या रोकड़पाल / रोकड़पाल / रिसिविंग कलर्क / निदेशक कोषांग, रिम्स, राँची को सूचनार्थ प्रषित।

राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान, राँची।
 8/2/16